




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP27021017540529T
 Certificate Issued Date : 09-Nov-2021 02:55 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0143488027669162T
 Purchased by : RAKESH PATEL S O BECHAI DAS AND OTHER
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : 3 BHK LAKE VIEW APARTMENT FLAT NO- 202 BLOCK NO- 3
 TARAMANDAL TEHSIL SADAR DISTT GORAKHPUR
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY GORAKHPUR
 Second Party : RAKESH PATEL S O BECHAI DAS AND OTHER
 Stamp Duty Paid By : RAKESH PATEL S O BECHAI DAS AND OTHER
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,58,500
 (Three Lakh Fifty Eight Thousand Five Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

on behalf of
Gorakhpur Development Authority

A E/Secretary

Rakesh Patel Kshamita Patel



0005109303

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

955 9847368



गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर



गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

विक्रय-विलेख
(आवासीय फ्लैट)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर जरिये श्री रुद्र बिहारी सहाय झा
गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवंटित फ्लैट का स्वामित्व प्राप्त किये जाने हेतु
यह विलेख सन् 2021 ई0 मास के 15-11-2021 दिन शुक्रवार के
दिनों तदनुसार शक सन्वत 1943 मास के कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन आठवीं
कमशः2/-

for and behalf of
Gorakhpur Development Authority

A.E./Secretary

Rakesh Latia

Kshamta Patel



(2)

को जिसको एतदपश्चात् " प्रथम पक्ष " कहा गया है तथा श्री/श्रीमती शकेश परेल श/०
श्री जे.आई. दास व श्रीमती क्षमता परेल प/० श्री शकेश परेल

निवासी ग्रा० करैला अजगरदां पो० बनसिया खुर्द
जिला - मुरझाजोत जिसको
एतदपश्चात् " द्वितीय पक्ष " कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है ।

कमशः3/-

Shresh Satro

Kshamta Patel

for and behalf of
Borakpur Development Authority

A E/Secretary



(3)

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि " द्वितीय पक्ष " को आवंटित हुआ था । आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट प्लेट का स्वामित्व मूलधन रू०- ५९५५५५०.०० व ब्याज रू०- ५५९४६.५० इस प्रकार कुल रू०- ५९९९५३६.५० (शब्दों में कुल रूपया ~~त्रिंशत् लाख नवसौ हजार पाच सौ अठतीस~~) के एवज में " द्वितीय पक्ष " को हस्तान्तरित किया जाना है ।


और चूँकि " प्रथम पक्ष " द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित 3 बी०एच०के० (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+8) ब्लॉक संख्या ०३ में ~~द्वितीय~~ तल प्लेट संख्या २०२ का स्वामित्व आवासीय प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है ।

और चूँकि जनपद गोरखपुर की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित प्लेट का आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है ।

अतः " द्वितीय पक्ष " द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट आस-पास के भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा ।

कमरा:4/-

for and behalf of
Gorakhpur Development Authority


A E/Secretary

Ramesh Lalit

Kshamta Patel



(4)

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संपठित एवं शासनादेश संख्या 1639/9-आ-1-95-80मिस/96 दिनांक 10 मई 1995 तथा शासनादेश संख्या 1778/9-आ-1-95-89मिस/86 दिनांक 24.05.1995 के अनुसरण में निम्नादित यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित प्लॉट का स्वामित्व " द्वितीय पक्ष " में घोषित किये जाने हेतु " द्वितीय पक्ष " द्वारा " प्रथम पक्ष " को नूलघन रू०- ५९५५५५०-५ व ब्याज रू०- ५५९८६-५ इस प्रकार कुल रू०- ५९९९५३६-५ (शब्दों में कुल रूपया ~~इन्द्राज लाल नवाजी द्वारा पांच सौ छत्तीस~~) गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर स्थित कोषागार में चेक/बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/रसीद संख्या 19355 व अन्य दिनांक 07-12-19 व अन्य द्वारा किये गये भुगतान जिसकी प्राप्ति " प्रथम पक्ष " एतद्वारा स्वीकार करता है, के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका " द्वितीय पक्ष " पालन करेगा, को ध्यान में रखकर " प्रथम पक्ष " एतद्वारा वह सब भूमि उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है, और स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखा चित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर " द्वितीय पक्ष " का गिजी स्वत्व प्रदान करते हैं । अतएव " द्वितीय पक्ष " उसके दावाधिकारी तथा समनुदेशितों सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे ।

कमरा:5/-

for and behalf of
Gorakhpur Development Authority

AE/Secretary

Sanesh Patel

Kshamta Patel


(5)


इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित फ्लैट पर " द्वितीय पक्ष " को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा । भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले फ्लैट के सम्बन्ध में इस समय देय करों अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा ।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनो पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा जिसपर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

कमरा:6/-

for and behalf of
Rohtakpur Development Authority.


AE/Secretary



Kshamta Palel

(6)

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय " द्वितीय पक्ष " द्वारा वहन किया जायेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द " प्रथम पक्ष " और " द्वितीय पक्ष " के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, " प्रथम पक्ष " में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों एवं समनुदेशितों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा ।

इस विलेख के साक्ष्य में " द्वितीय पक्ष " ने " प्रथम पक्ष " की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है ।

प्रश्नगत सम्पत्ति का न तो कब्जा दिया गया है और न ही पूर्व में कब्जा का प्रस्ताव दिया गया है । इस विलेख के पंजीयन के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा ।

कमशः7/-

Rakesh Patel

for and behalf of
Gorakhpur Development Authority.

[Signature]
A.E./Secretary



Kshamta Patel



(7)

विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

3 बी0एच0के0 (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+8) श्रेणी के ब्लॉक संख्या 03 में
द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 202 स्थित लेक व्यू अपार्टमेन्ट आवासीय
योजना कार्पेट क्षेत्रफल 87.20 वर्ग मीटर, आच्छादित क्षेत्रफल 102.75
वर्ग मीटर आर0 सी0 सी0 द्वितीय श्रेणी है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब - फ्लैट सं० - 3/201

पश्चिम - फ्लैट सं० - 3/203


उत्तर - फ्लैट सं० - 3/205


दक्षिण - फ्लैट सं० - 2/205

कमरा:8/-

For and Behalf of
Suraksha Development Authority,


A.E. Secretary




Kshamta Patel

(8)

फ्रीहोल्ड के लिए " द्वितीय पक्ष " ने सम्पूर्ण धनराशि रू०- 118962-00 सरकारी कोषागार, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में चालान/रसीद संख्या 19355 व अन्य दिनांक 07.12.19... व अन्य द्वारा जमा कर दी है।

Karesh Patel

On behalf of
Management Authority
A.E./Secretary
उपस्थित विकास प्राधिकरण की ओर
से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत।

Kshamta Patel
द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

नाम श्री शबेशा पेरेल w/o श्री बेचई दास
व श्री प्रती क्षमता पेरेल w/o श्री शबेशा पेरेल
पता - कोरेला अजगरहा, पो० बनसिया
इन्दौर, जिला - म.प्र. राजगढ़

साक्षी :-

(1)

सहायक सभ्यता अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

(2)

M84
मुन्नाशर्मा
लिपिक

(1) प्रहलाद चौधरी
S/o S/o S/o S/o
मु० मु० मु० मु०
वाराणसी
गोरखपुर

(2)
प्रफुल्ल सिंह
S/o प्रहलाद
कुशीमनपुर, राजगढ़
गोरखपुर

गोरखपुर विकास प्राधिकरण

यह कि क्रेता इस तथ्य के कारण यह भी प्रसंविदा करता है, कि चूँकि योजनागत विकास में भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण (जिसमें कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं) एवं परिणामतः विक्रय-विलेख के निष्पादन एवं निबन्धन के समय विक्रेता विशेष भूमि अध्यापित अधिकारों के द्वारा दिये गये अभिनिर्णय (एवार्ड) के आधार पर प्रीमियम तथा किराया निर्धारित करता है और चूँकि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि कुछ वर्षों बाद या तो न्यायाधीश या मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी द्वारा दिये गये अभिनिर्णय के प्रतिकर की धनराशि बढ़ाई जा सकती है। तथा पक्षकार इस हेतु सहमत होते हैं यदि उपरोक्त प्राधिकारी के द्वारा इस प्रकार की कोई आकस्मिक घटना के प्रतिकर, तोषण (सोलेशियम) एवं या इस मद में ब्याज की वृद्धि हो जाये तो इस प्रकार की हुई वृद्धि की जिम्मेदारी विक्रीत रकबा योजना के सम्पूर्ण रकबा के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी। जिसकी क्रेता निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वहन करेगा :-

| | |
|--|-----------------|
| (1) आवासीय भवन / भूखण्ड व्यक्ति अथवा संस्था के लिए | वृद्धि का 100 % |
| (2) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग एवं साइट एण्ड सर्विसेज | वृद्धि का 50 % |
| (3) कार्यालय व्यावसायिक | वृद्धि का 200 % |
| (4) औद्योगिक | वृद्धि का 100 % |
| (5) स्कूल, पुलिस स्टेशन, शिक्षण संस्थान एवं सरकारी अस्पताल | वृद्धि का 50 % |

एवं क्रेता इस प्रकार प्रतिकर से हुई वृद्धि के कारण बढ़े हुए अतिरिक्त प्रीमियम को विक्रेता द्वारा दिये गये मांग पत्र सूचना प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर अदा कर देगा। इसमें असफल होने पर यह राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जायेगी।

या कि पक्षकार इस पर सहमत होते हैं कि विलेख के निष्पादन एवं निबन्धन में होने वाले समस्त आकस्मिक एवं अन्य व्ययों को क्रेता के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

for and behalf of
Gorakhpur Development Authority
VP
A-E/Secretary


Kshamta Patel



LAKE VIEW APARTMENT (3 B.H.K. FLAT)
AT LAKE VIEW VISTAR SCHEME, NEAR TARAMANDAL

LEASE PLAN

NAME OF THE ALLOTTEE-.....
 BLOCK NO.-3
 FLOOR NO.-SECOND FLOOR
 FLAT NO.-3/202
 FLAT AREA-
 1- CARPET AREA.....87.20 sqm.
 2- COVERED AREA.....102.75 sqm.




BOUNDRIES OF FLAT-
 EAST.....FLAT NO. - 3/201
 WEST.....FLAT NO. - 3/203
 NORTH.....FLAT NO. - 3/205
 SOUTH.....FLAT NO. - 2/205

6.00 M. WIDE DRIVEWAY

6.00 M. WIDE DRIVEWAY

6.00 M. WIDE DRIVEWAY



for and behalf of
Gurakhpur Development Authority

(Signature)
A.E.

(Signature)
Farzeesh Patel

(Signature)
Kshamta Patel

PLANNING SECTION

ENGINEERING SECTION

(Signature)
DRAWN BY

(Signature)
A.T.P.

(Signature)
T.P.

(Signature)
J.E.

(Signature)
A.E.

(Signature)
E.E.


लेक व्यु अपार्टमेन्ट आवासीय योजना के अर्न्तगत श्री/श्रीमती राजेश परेल S/o
श्री वेणुदास व श्रीमती क्षमता परेल w/o श्री राजेश परेल
के पक्ष में आवंटित 3 बी०एच०के०
(बेसमेन्ट+स्टिल्ट+8) ब्लाक संख्या ०३ में द्वितीय तल पर फ्लैट
संख्या २०२ के मद में जमा धनराशि का विवरण निम्नवत है :-


| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1- फ्लैट का मूल्य | रु०- <u>५९५५५५०-०</u> |
| 2- फ्रीहोल्ड शुल्क | रु०- <u>११८९६२-५</u> |
| 3- ब्याज की धनराशि | रु०- <u>५५९८६-५</u> |

कुल जमा धनराशि रु०- ५१०८५९८-५

कुल जमा धनराशि शब्दों में रूपया अन्यावन लाख अठ हज़ार
रु० अठानवे मात्र मात्र ।

for and behalf of
Borokhpur Development Authority


A-2/1/1/1/1/1



Kshamta Patel

अवेर

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




नाम / Name
KSHAMITA PATEL

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

CSEPS8026C

पिता का नाम / Father's Name
PRAHALAD CHAUDHARY



जन्म का तिथि / Date of Birth
09/01/1984

हस्ताक्षर / Signature

50990

रुबरी

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

RAKESH PATEL

BEGHAI DAS

03/03/1973

Permanent Account Number

APSP8088C

Rakesh Patel

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



07112006